(ग) आयोग ने कहा है कि " यह आश्चर्यजनक बात है कि मूल जमीनधारक ने शिकायत करने पर भी राजस्व विभाग के अधिकारियों ने नामांतरण कर दिया और "विक्रेता" बताकर मूल भूधारक के खाते से जमीन का रिकॉर्ड सर्वे नं. हटा दिया गया" "यह भी विशेष है कि जबकि किसी एक जमीन की एक से अधिक रजिस्ट्रियां बांध प्रभावितों ने पेश की, तब भी किसी प्रकार की जांच के बिना नगद रकम अदा की गयी।" जहां फर्जी विक्रय पत्र पेश किय हैं, वहां गतिमानता से दूसरी किश्त दी गयी किंतु जब सही विक्रय पत्र प्रस्तुत किए गए तब उस पर अनेक प्रकार की कड़ी जांच करवाई गयी।" "कई प्रकरणों में विक्रय पत्र दलालों ने ही न.घा.वि.प्रा. के कार्यालय में पेश किए गए और उस पर आधारित चेक वितरण किया गया।"

(घ) आयोग ने 186 दलालों की सूची जोड़कर कहा कि जबकि दलालों ने अपना सहभाग नकारा है, आयोग की जांच से यह प्रथमदर्शनी साबित होता है कि उन्होंने इस अवैध लेने देन में हिस्सा लिया है। आयोग के अनुसार इतने बडे पैमाने पर पैसे का आवंटन करने वाले, अंजड, राजपुर, जिला बडवानी तथा मनावर, कुक्षी, धरमपुरी जिला धार में पदस्थ भूअर्जन व पुनर्वास अधिकारियों ने विक्रय पत्रों की सत्यता की जांच नहीं की। आयोग ने अपनी संपूण खोज से भ्रष्ट प्रक्रिया का वर्णन करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि "विशेष पुनर्वास अनुदान" की नगद राशि देने की पूरी नीति ही गलत होना, इस फर्जीवाडे के पीछे का प्रमुख कारण है।

आयोग ने अपनी संपूर्ण जांच का वर्णन करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि "विशेष पुनर्वास अनुदान की नगद राशि देने की पूरी नीति ही गलत होना, इस फर्जीवाड़े के पीछे का प्रमुख कारण है।"

(च) 88 पुनर्वास स्थलों के निर्माण में

आयोग ने 88 पुनर्वास स्थलों पर बने निर्माण कार्यों की जांच मौलाना आजाद इंसटिट्युट ऑफ टेक्नोलोजी (MANIT), भोपाल व आईआईटी, मुंबई के द्वारा करवाई थी।

आयोग ने इस रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी और निष्कर्ष निकाले हैं, जिनमें प्रमुख निम्न हैं:–

न.घा.वि.प्रा. के इंजिनीयर अधिकारियों तथा ठेकेदारों ने पुनर्वास स्थल नियोजन में कई सारे नियमों का उल्लंघन किया है जैसे कि, किसी भी निर्माण में भू–गर्भशास्त्रीय जांच (भूमि की) होना आवश्यक होता है जो नहीं की गई।विविध स्थलों की विशेषता को ध्यान में लेने के बदले एक ही "मॉडल डिजाइन" निकालकर ठेके दिए गए। ट्रान्सफॉर्मर्स की खरीदी में बड़ा संदेह दिखाई देता है, 425 ट्रांसफॉर्मर्स की संख्या दिखाई गई और प्रत्यक्ष में 1021 ही सर्टिफिकेट दिखाए गए। इसमें निश्चित ही एक ही ट्रान्सफॉर्मर 10 से 20 पुनर्वास स्थलों के लिए खरीदा गया और न.घा.वि.प्रा. तथा इलेक्ट्रिक सप्लायर कंपनी इसमें सम्मिलित है।

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

पुनर्वास निर्माण कार्य में "रपटों" का कार्य, जरूरत से ज्यादा किया गया जिसमें खर्चा भी अधिक होकर उद्देश्य अनेक स्थलों पर पूरा नहीं हो पाया।

पानी की परीक्षा, आर्सेनिक, फ्लोराइड की दृष्टि से न करते हुए पानी पुनर्वास स्थल पर उपलब्ध कराया गया है।

नियोजन तथा निगरानी का पूर्ण अभाव, आयोग के निष्कर्ष में है। पीडब्ल्यूडी मैन्युअल अनुसार कार्य नहीं किया गया। जीरों तकनीकी जांच, तकनीकी मंजूरी की प्रक्रिया, क्वालिटि कंट्रोल आदि में काफी त्रुटियां बताई गई हैं। अनेक निर्माण कार्य में भी नियमों का पालन नहीं करते हुए, क्वालिटि कंट्रोल नहीं किया गया।

(छ) माननीय न्यायधीश श्री एस.एस झा, अध्यक्ष एसएसपी जांच आयोग इंदौर की रिपोर्ट का निष्कर्ष निम्नानुसार है:–

a. The reason for fake sale deeds in is faulty SRP Policy of the Government. The Government was not having sufficient irrigated agricultural lands in their Land Banks near the R & R sites. The Policy itself is against Narmada Award, and the judgment of the Supreme Court. Supreme Court has observed that the PAFs and PAPs should live bette life has been frustrated by this Policy.

b. By not allowing any scrutiny of the sale deeds and free hand has been given to the Rehabilitation Officers and Land Acquisition Officers in disbursing the compensation which resulted into large number of fake sale deeds.

c. The free access to middlemen in the Office of NVDA in getting the money withdrawn of the oustees also feflects about the interest of middlemen and nexus with NVDA officials. Though evidence is not received against the NVDA officials all the oustees have stated that they were made to sit outside the NVDA Office and their work was done by the middlemen and they were made to sign on the papers without explaining the contents discloses that NVDA officials had obtained signatures or thub impressions of the outees without explaining the contents demonstrate irregularity on their part and they are prima facie responsible for large number of fake registries.

d. The quality of construction was very poor without any planning. No geographical mapping was done before selecting the R &R sites house building sited for residential plots. There was a faulty policy of not establishing a laboratory to test the soil for carrying out constructions on the black cotton soil. The construction was done on the R & R sites on common maps and designs of the building. Superior officers had never cared to visit R & R sites to examine the construction work. The Government has found 40 engineers responsible for substandard quality of construction, but has not cared to rectify the defect after finding the substatndard

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi